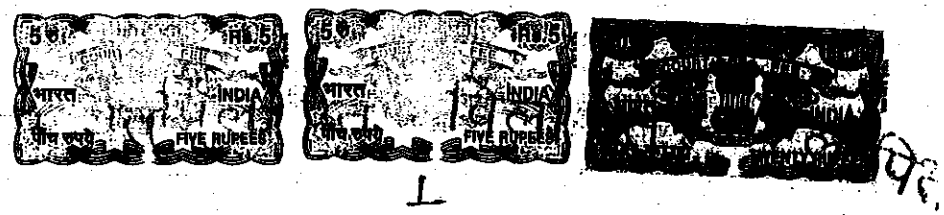

203

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

भमरीबाई पुत्री श्री लच्छू अहिरवार निवासी कजरी मडवासा तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. जालम सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम कजरी मडवासा हाल निवासी गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र.

..... अनावेदक

1. घसीटीबाई पुत्री फिन्ता
2. हल्कीबाई पुत्री फिन्ता

निवासीगण – ग्राम मन्नखेडा तहसील नटैरन जिला विदिशा (म.प्र.)

3. पूरन पुत्र फिन्ता अहिरवार निवासी ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
4. समरथ पुत्र खुमान सिंह निवासी ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंज
5. सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल निवासी घटवार तहसील सिरोंज जिला विदिशा
6. राजमल पुत्र अयोध्याप्रसाद
7. लखनलाल पुत्र अध्योध्याप्रसाद

निवासीगण ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंजहाल निवासी माला कडमेडी तहसील कुरवाई जिला विदिशा

8. विनोद पुत्र विक्रम सिंह रघुवंशी निवासी ग्राम घटवार तहसील सिरोंज विदिशा
9. संतराम पुत्र धनीराम जाटव निवासी ओसनयाई तहसील सिरोंज
10. गंगादेवी पत्नी कैलाश नारायण अहिरवार निवासी कजरी मडवासा तहसील सिरों जिला विदिशा म.प्र.

..... तरतीवी पक्षकार

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 402/1/2016 निगरानी

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-10-2016	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव उपस्थित, अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता सूश्री चित्रा सक्सेना उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 67/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12–1–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, भूमि सर्वे कमांक 37, 57, 71, 75, 117, 155, 210, 211, 215, 217 कुल किता 10 कुल रकवा 14.328 हैक्टर भूमि सहभूमि स्वामी स्वत्व की होकर, ग्राम कजरी मडवासा तहसील सिरोंज मे स्थित है उसके पूर्व भूमि स्वामी नथिया विधवा लच्छू, भमरिया, गुडडीबाई पुत्रीगण लच्छू थे। गुडडीबाई के फौत हो जाने से नांयब तहसीलदार मण्डल 5 सिरोंज द्वारा गुडडीबाई की वैध उत्तराधिकारी आवेदिका का नामान्तरण पंजी कमांक–3 आदेश दिनांक 28.11.1988 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक –1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष 25 – 26 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 67/अपील/2011–12 पर दर्ज की जाकर अनुविभागीय	

अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–1–2016 पारित कर विलम्ब छमा करते हुये उक्त अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण नायब तहसीलदार सिरोंज की नामान्तरण पंजी कमांक–3 आदेश दिनांक 28–11–1988 से प्रारंभ हुआ जिसमें विवाद ग्राम कजरी मडवासा की विवादित आराजी से संबंधित है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 द्वारा स्वंय को मृतिका गुडडीबाई का पुत्र बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 25–26 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है जिसके साथ धारा–5 अवधि विधान के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया, अनावेदक कमांक–1 द्वारा नामान्तरण आदेश की जाकनारी ग्राम वासियों से दिनांक 20–1–2013 को होना दर्शाया गया है, तथा अनावेदक कमांक–1 द्वारा अपने आप को नामान्तरण के समय 2 वर्ष का लेख किया गया है जवकि अनावेदक कमांक–1 की आयु 25 वर्ष थी अनावेदक 7 वर्ष पूर्व बालिग हो चुका था इन 7 वर्षो में अनावेदक ने उक्त नामान्तरण आदेश के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। और वैसे भी अनावेदक कमांक–1 ने अपने आप को गुडडीबाई का पुत्र सावित नहीं किया है। अनावेदक कमांक–1 ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आदेश दिनांक 6–11–1989 को चुनौती दी है परन्तु दिनांक

6–11–1989 का कोई आदेश ही नहीं है। इन सभी तथ्यों पर विचार किये बगैर अनुविभगीय अधिकारी ने विधि विरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 12–1–2016 को अनावेदक कमांक–1 की अपील में विलम्व छमा किया जाकर, अपील समय सीमा में मान्य की है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने येाग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा प्रकरण कमांक 67/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.1.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर, नायब तहसीलदार सिरोंज की नामान्तरण पंजी कमांक–3 आदेश दिनांक 28–11–1988 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर